मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 1996 (श्रावण 18, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (क्रमांक 26 सन् 1976) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड, भोपाल की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88, एवं 1988-89 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हरवंश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी. 1/11/95-बाईस-पं-2, दिनांक 29 फरवरी, 1996 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री सत्यदेव कटारे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल की 19 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1992-93 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री ओमप्रकाश खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले की अनेक खदानें बन्द होने से श्रमिकों के बेरोजगार होने की ओर राज्यमंत्री, खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के ग्राम घसाई की एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- याचिकाओं की प्रस्तुति.

श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के —

।क। ग्राम बचैया स्थित ए.एल.राय. उ.मा.विद्यालय को शासनाधीन किये जाने,
।ख। ग्राम बिछुआ में हाई स्कूल खोले जाने,
।ग। ग्राम भटौरा में हाई स्कूल खोले जाने,
।घ। ग्राम भनपुरा नं. 2 से बिछुआ तक सड़क बनाये जाने, तथा
।ङ। ग्राम रैपुरा में हाई स्कूल खोलने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे ।

5- नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिले के कृषकों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री बाबूलाल गौर, डॉ. गौरीशंकर शेजवार श्री कमल पटेल, श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे ।

निर्धारित समय

6- अशासकीय विधि विषयक कार्य.

30 मिनिट. ।1। श्री गौरीशंकर बिसेन, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता ।संशोधन। विधेयक, 1996 ।क्रमांक 6 सन् 1996। पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मिनिट. ।2। डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ।संशोधन। विधेयक, 1996 ।क्रमांक 8 सन् 1996। पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7- अशासकीय संकल्प.

45 मिनिट. ।1। सर्वश्री रामदयाल प्रभाकर तथा लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे —

" सदन का यह मत है कि सम्पूर्ण प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी लागू की जाय."

45 मिनिट. ।2। डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को बन्द किया जाय."

अशोक चतुर्वेदी.
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक 8 अगस्त, 1996